न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/82/2024	13.11.2024	21.11.2024

1. Indian Overseas Bank, Sector-56 Gurgaon Branch SCO-56 Sector-56, Gurgaon Haryana 122001

प्रार्थी

बनाम

1. Raju Thakur
H.No. 3487, 2nd Floor Gali No. 80, Block E-2 Molarband Extn. Badarpur New Delhi 110044
Also At- Ground Floor Shop No. 30 Ashoka Enclave Part-1 Faridabad-121003
Also At-Village and Post Vaireena Nr. Govt. School P.S. Bulandshahar U.P.-203001
Also At-Flat/Unit No. 004 Ground Floor Tower B-2 Of Avalon Homes At Village Masit On Bhiwadi-Alwar Bypass Road, Tehsil Tapukada, Mauja Tapukara (Sector-106 Bhiwadi), Distt. Khairthal-Tijara, Raj.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

––:: निर्णय ::––

प्राधिकृत अधिकारी, Indian Overseas Bank, Sector-56 Gurgaon Branch SCO-56 Sector-56, Gurgaon Haryana की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को 15,15,000/–रू.–(अक्षरेन– पन्द्रह लाख, पन्द्रह हजार रूपये मात्र) का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति Flat/Unit No. 307, 3rd Floor Tower-C-3 Of Avalon Homes At Village Masit, Bhiwadi By Pass Road, Bhiwadi Tehsil Tapukada District Khairthal-Tijara अन्तर्गत स्वामित्व Raju Thakur S/O Rajinder Singh Thakur प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 04.05.2023 भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति Flat/Unit No. 307, 3rd Floor Tower-C-3 Of Avalon Homes At Village Masit, Bhiwadi By Pass Road, Bhiwadi Tehsil Tapukada District Khairthal-Tijara अन्तर्गत स्वामित्व Raju Thakur S/O Rajinder Singh Thakur का कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार दिनांक 04.05.2023 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवाया गया कि कुल बकाया 15,15,000/–रू.–(अक्षरेन– पन्द्रह लाख, पन्द्रह हजार रूपये मात्र) एवं इसके पश्चात् का ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित नोटिस की तारीख के 60 दिन में

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

भुगतान कर दें किन्तु समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी ऋण की अदायगी नहीं गई, जिससे अप्रार्थी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया जाना पाया है। सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का प्रावधान है। अतः सिक्यूरेटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति Flat No. 806, 8th Floor Block/Tower A-4 Avalon Rangoli, Bhiwadi By Pass Road, Bhiwadi Tehsil Tapukada District Khairthal-Tijara अन्तर्गत स्वामित्व Veeru Singh Rajput S/O Raj Nandan Singh का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकड़ा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि रहन रखी गई Flat/Unit No. 307, 3rd Floor Tower-C-3 Of Avalon Homes At Village Masit, Bhiwadi By Pass Road, Bhiwadi Tehsil Tapukada District Khairthal-Tijara अन्तर्गत स्वामित्व Raju Thakur S/O Rajinder Singh Thakur को कब्जे मे लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाया जावे। रहन रखी सम्पत्ति को दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेंवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थी बैंक कब्जा लेने की तिथि व समय से पुलिस अधीक्षक भिवाडी को सूचित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)